

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(1)नविवि/डूंगरपुर/2016

जयपुर, दिनांक:- 29 OCT 2021

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत डूंगरपुर मास्टर प्लान-2036 के नगरीय क्षेत्र हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.01.2017 द्वारा डूंगरपुर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 29 राजस्व ग्रामों में से क्रम संख्या 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 व 29 पर अंकित ग्रामों को पूर्ण तथा क्रम संख्या 17 एवं 19 पर अंकित राजस्व ग्रामों को आंशिक रूप से विलोपित करते हुए, क्षितिज वर्ष-2031 तक के लिए संशोधित नगरीय क्षेत्र में निम्न राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता है :-

क्र.स.	राजस्व ग्राम का नाम	REVENUE VILLAGE
1.	डूंगरपुर खास	DUNGARPUR KHAS
2.	चक डूंगरपुर	CHAK DUNGARPUR
3.	राजपुर	RAJPUR
4.	फतेहपुरा	FATEHPURA
5.	नवाडेरा	NAWADERA
6.	उदेपुरा	UDAIPURA
7.	चक उदेपुरा	CHAK UDAIPURA
8.	पातापुर	PATAPUR
9.	गोकलपुरा	GOKALPURA
10.	कुशाल मगरी	KUSHAL MAGRI
11.	सीयालदरी	SIYALDARI
12.	बीलडी	BEELRI
13.	शिवपुरा	SHIVPURA
14.	मालपुर	MALPUR
15.	ददोडिया	DADORIYA
16.	भाटपुर	BHATPUR
17.	पादरडी (दो नदी के दक्षिण-पूर्वी दिशा का भाग)	PADARDI (SOUTH-EASTERN PART OF DO NADI)
18.	सुरपुर (गांगरी नदी के पूर्वी दिशा का भाग)	SURPUR (EASTERN PART OF GANGRI RIVER)

राज्यपाल की आज्ञा से



(नवनीत कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, डूंगरपुर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन उदयपुर।
5. आयुक्त नगर परिषद, डूंगरपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित कराये जाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

  
29/10/2021

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय